उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1/ग्यारह-2-26-9(42)/17-टी.सी.76-उ0प्र0 जी0 एस0 टी0 नियम-2017-आदेश-(368)-2026

लखनऊ; दिनांकः 25 जनवरी, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2026

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td>1.</td><td>(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।
(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दिनांक 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त समझी जायेगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 31घ का बढ़ाया जाना</td><td>2.</td><td>उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 31ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—
"31घ. खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर माल की पूर्ति का मूल्य।—
(1) इस अध्याय के उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल, जो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अधीन आते हैं, का मूल्य, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य से लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्:—
सारणी
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद</th><th>माल का विवरण</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>2106 90 20</td><td>पान मसाला</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2401</td><td>अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न]</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2402</td><td>सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के अनुकल्प</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2403</td><td>अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू अनुकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी से भिन्न)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2404 11 00</td><td>तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table><tr><td>6.</td><td>2404 19 00</td><td>तंबाकू या निकोटीन अनुकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत</td></tr></table>
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:—
कर राशि = (खुदरा विक्रय मूल्य × लागू करों की प्रतिशत कर दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)
स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनार्थ,—
(क) "लागू कर" का तात्पर्य यथास्थिति, एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी) या केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी) या राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी) से है;
(ख) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, इयूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं;
(ग) जहां किसी माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य समझा जाएगा;
(घ) जहां किसी माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को पूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य को खुदरा विक्रय मूल्य समझा जाएगा;
(ङ) जहां किसी माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए माल के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।"
</td></tr>
<tr><td>नियम 86ख का संशोधन</td><td>3</td><td>उक्त नियमावली में, नियम 86ख में, प्रथम परंतुक में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—
"(च) निर्माता के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31घ के अधीन विनिर्दिष्ट माल के संबंध में होगी, जिस पर खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर संदत्त किया गया है:"</td></tr>
</table>

आज्ञा से,

Digitally signed by
KAMINI CHAUHAN RATAN
Date: 25-01-2026
14:45:41

(कामिनी चौहान रतन)
प्रमुख सचिव।